

न्यायालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड-मण्डलेश्वर

// सूचना //

-0-

कोरोना वायरस(कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्रमांक क्यू-13, जबलपुर दिनांक 17.05.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर के पृष्ठांकन क्रमांक 992/लेखा/2020, मण्डलेश्वर दिनांक 18.05.2020 के पालन में लाकडाउन की अवधि दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक बढ़ाई जाने से तथा समय-समय पर जारी किये गये दिशानिर्देशों अनुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत, अपील/पुनरीक्षण एवं अन्य प्रकरण, जो अंतिम तर्क के स्तर पर हो, से संबंधित प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य ही किया जावेगा।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाये गये नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनाकों को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किये जावेंगे -

आपराधिक प्रकरण

(जमानत, अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य प्रकरण जो अंतिम तर्क की स्टेज पर हैं, को छोड़कर)

क.	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01.	18.05.2020	08.06.2020
02.	19.05.2020	09.06.2020
03	20.05.2020	10.06.2020
04	21.05.2020	11.06.2020
05	22.05.2020	12.06.2020
06	26.05.2020	15.06.2020
07	27.05.2020	16.06.2020
08	28.05.2020	17.06.2020
09	29.05.2020	18.06.2020

(बी०आर० पाटिल)

सत्र न्यायाधीश,

पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर
18/5/2020

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश अजा/अजजा अत्याचार निवारण) अधिनियम,
पश्चिम निमाख, मण्डलेश्वर.

सूचना पत्र

माननीय उच्च न्यायालय म. प्र. जबलपुर के परिपत्र क्रमांक Q/13 दिनांक 17-05-2020 में प्रसारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण संपूर्ण देश में दिनांक 31.05.2020 तक विस्तारित लॉक डाउन को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय में लंबित समस्त दिवानी एवं आपराधिक प्रकरण निम्न सारणी अनुसार आगामी नियत दिनाकों को सुनवाई में लिये जावेंगे:-

अ.क.	पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1.	18.05.2020	17.06.2020
2.	19.05.2020	18.06.2020
3.	20.05.2020	19.06.2020
4.	21.05.2020	22.06.2020
5.	22.05.2020	23.06.2020
6.	23.05.2020 शनिवार
7.	24.05.2020 रविवार अवकाश
8.	25.05.2020	24.06.2020
9.	26.05.2020	25.06.2020
10.	27.05.2020	26.06.2020
11.	28.05.2020	29.06.2020
12.	29.05.2020	30.06.2020
13.	30.05.2020 शनिवार
14.	31.05.2020 रविवार अवकाश

तदनुसार समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण सूचित हों।

J. H. W. Rao

विशेष न्यायाधीश
अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम
पश्चिम निमाख, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

न्यायालय:-प्रवीण हजारे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प0नि0
मण्डलेश्वर(म.प्र.)

क... 218/2020

मण्डलेश्वर, दिनांक 18.05.2020


कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्र. क्यू-13 जबलपुर दिनांक 17.05.2020 के पालन में तथा भारत सरकार द्वारा लाकडाउन की अवधि दिनांक 31.05.2020 तक बढ़ायी जाने से समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं तथा उक्त दिनाकों में नियत समस्त प्रकरणों में आगामी तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। साथ ही इस न्यायालय में अंतिम तर्क की स्टेज पर नियत प्रकरण पूर्व से नियत दिनांक को विडियो कांफेसिंग द्वारा या लिखित तर्क पेश कर सुनवाई में लिये जा सकेंगे एवं शेष कार्यवाहियों से संबंधित समस्त प्रकरणों में नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों में उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

सिविल एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियाँ

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	18.05.2020	16.06.2020
02	19.05.2020	17.06.2020
03	20.05.2020	18.06.2020
04	21.05.2020	19.06.2020
05	22.05.2020	22.06.2020
06	26.05.2020	23.06.2020
07	27.05.2020	24.06.2020
08	28.05.2020	25.06.2020
09	29.05.2020	26.06.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जाये।


प्रवीण हजारे

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

न्यायालय :-श्रीमती आरती शर्मा अनन्यतः विशेष न्यायाधीश
पाक्सो अधिनियम पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर

सूचना - पत्र

कोरोना वायरस(कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्रमांक क्यु-13 जबलपुर दिनांक 18.05.2020 के पालन में लाक-डाउन-4 (दिनांक 18.05.2020 से 31.05.2020 तक) की अवधि दिनांक 31.05.2020 तक (विस्तारित) बढ़ाई जाने से तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं।


माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन, अंतिम तर्क तथा अन्य अति आवश्यक प्रकृति के कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियों दिनांक 31.05.2020 तक स्थगित रहेंगे।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाए गए नियत दिनांको में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियाँ

क्रं.	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	18.05.2020	17.06.2020
2	19.05.2020	18.06.2020
3	20.05.2020	19.06.2020
4	21.05.2020	22.06.2020
5	22.05.2020	23.06.2020
6	23.05.2020	24.06.2020
7	25.05.2020	25.06.2020
8	26.05.2020	26.06.2020
9	27.05.2020	29.06.2020
10	28.05.2020	30.06.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जाये।


{श्रीमती आरती शर्मा}
अनन्यतः विशेष न्यायाधीश
लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण
अधिनियम (पाक्सो अधिनियम) मण्डलेश्वर

न्यायालय :- द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर प. निमाड (म0प्र0)

क्रमांक

/आर./ 2020

मंडलेश्वर, दिनांक

कोराना वायरस (कोविड-19) के सम्बंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्र. क्यू-13 जबलपुर, दिनांक 17.05.2020 के पालन में तथा भारत सरकार द्वारा लाकडाउन की अवधि दिनांक 31.05.2020 तक बढ़ायी जाने से समय-समय पर जारी किए गये निर्देशानुसार अंतिम तर्क की स्टेज पर नियत समस्त प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिए गये हैं तथा उक्त दिनाकों में नियत समस्त प्रकरणों में आगामी तिथी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।


माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समय-समय पर निर्देशानुसार केवल जमानत सम्बंधी प्रकरण एवं अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरण एवं स्थगन से सम्बंधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियों से सम्बंधित समस्त प्रकरण दिनांक 31.05.2020 तक स्थगित रहेंगे।

तदानुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाये गये नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों में उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किये जायेंगे।

सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की नियत तिथियां

क्रमांक	पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक
1	18.05.2020 ✓	19.06.2020
2	19.05.2020 ✓	22.06.2020
3	20.05.2020	23.06.2020
4	21.05.2020	24.06.2020
5	22.05.2020	25.06.2020
6	23.05.2020	26.06.2020
7	25.05.2020	29.06.2020
8	26.05.2020	30.06.2020
9	27.05.2020	03.07.2020
10	28.05.2020	06.07.2020
11	29.05.2020	07.07.2020
12	30.05.2020	08.07.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी प्रति जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पत्र पर चस्पा की जाये।


अरुण कुमार खरादी
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
प.नि मण्डलेश्वर

न्यायालय: श्रीमती संगीता डायर मौर्य, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
प०निमाड- मण्डलेश्वर(म०प्र०)

जा०क्र०-273/आप०

मण्डलेश्वर, दिनांक 18-05-2020

॥ आम सूचना ॥

कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्बन्ध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्रमांक Q 13 जबलपुर दिनांकित, 17-05-2020 में प्रसारित दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण सम्पूर्ण देश में दिनांक 31-05-2020 तक विस्तारित लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय में लम्बित समस्त दिवानी एवं आपराधिक प्रकरण निम्न सारणी अनुसार नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिती सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जाएंगे।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल अंतिम तर्क से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी तथा जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन से सम्बन्धित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियाँ, जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 31-05-2020 तक स्थगित रहेंगे।

दिवानी एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियाँ

क्रमांक	दिवानी एवं आपराधिक प्रकरणों में नियत दिनांक	दिवानी एवं आपराधिक प्रकरणों में आगामी नियत दिनांक	अण्डरट्रायल प्रकरण	ग्राम न्यायालय में लम्बित प्रकरण
01	18-05-2020	11-06-2020	01-06-2020	05-06-2020
02	19-05-2020	12-06-2020	02-06-2020	
03	20-05-2020	15-06-2020		
04	21-05-2020	16-06-2020		
05	22-05-2020	17-06-2020		08-06-2020
06	23-05-2020	17-06-2020		
07	26-05-2020	18-06-2020		
08	27-05-2020	19-06-2020		12-06-2020
09	28-05-2020	22-06-2020		
10	29-05-2020	23-06-2020		

तदनुसार समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारण को सूचित हों।

{ श्रीमती संगीता डायर मौर्य }
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
प. नि. मण्डलेश्वर(म. प्र.)

न्यायालय :- सुश्री आयुषी शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मण्डलेश्वर पश्चिम निमाड, म.प्र.

क्रमांक/क्यू/2020

मण्डलेश्वर, दिनांक 19.05.2020

आम सूचना

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्रं. क्यू-11 जबलपुर दिनांक 02.05.2020 आदेश के पालन में तथा भारत सरकार द्वारा लाकडाउन की अवधि दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक बढ़ायी जाने से समय-समय पर जारी किए गये निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं। तथा उक्त दिनाकों में नियत समस्त प्रकरणों में आगामी तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अतिआवश्यक कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियों जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 31.05.2020 तक स्थगित रहेंगे।


तदनुसार इस न्यायालय के नीचे दर्शाए गए नियत दिनांको में नियत प्रकरणों में उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथोस्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

सिविल एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियां

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	21.05.2020	11.06.2020

उक्त प्रकरण के अतिरिक्त शेष दिवसों में इस न्यायालय में कोई भी दीवानी एवं आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है।

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।


प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के
न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-2, मण्डलेश्वर

न्यायालय:-शिवानी सैनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश-2 मण्डलेश्वर के न्यायालय के द्वितीय अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मण्डलेश्वर प.नि.

--: आवश्यक सूचना :-

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र. क्यू/13 दिनांक 17.05.2020 में प्रसारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण संपूर्ण देश में दिनांक 31.05.2020 तक विस्तारित लॉक डाउन को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय में लंबित समस्त दिवानी एवं आपराधिक प्रकरण निम्न सारणी अनुसार आगामी नियत दिनांकों को सुनवाई में लिये जायेंगे।

इस हेतु अभिभाषकगण अपने-अपने पक्षकारों को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करें।

सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों हेतु आगामी नवीन पेशी दिनांक

स.क्र.	वर्तमान पेशी तारीख	आगामी पेशी तारीख
1	18.05.2020 से दिनांक 26.05.2020 तक के समस्त प्रकरण	25.06.2020
2	27.05.2020	26.06.2020
3	28.05.2020	04.06.2020
4	29.05.2020	19.06.2020
5	30.05.2020 शनिवार	-----
6	31.05.2020 रविवार अवकाश

Shivani

(शिवानी सैनी)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, मण्डलेश्वर

न्यायालय-चारूलता दांगी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद जिला मण्डलेश्वर (म0प्र0)

दिनांक 18.05.2020

संशोधित आदेश

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एडवाइजरी/निर्देश एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डलेश्वर के आदेश क्रमांक 992/लेखा/2020 दिनांक 18.05.2020 के अनुपालन तथा समस्त भारत देश में लाकडाउन की स्थिति को देखते हुए सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण को सुचित किया जाता है कि कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 31.05.2020 तक समस्त सिविल एवं आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों में अग्रिम पेशी दिनांक निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः (अपरिहार्य स्थिति जैसी अंतिम तर्क, आदेश, शीघ्र तथा निषेधाज्ञा मामलों, के मामलों को छोड़कर) सभी सिविल मामलों में दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक के सिविल प्रकरण निम्नलिखित दिनांक के सामने लिखी नवीन अग्रिम दिनांक को सुनवाई पर लिये जायेंगे।

क्रमांक	पुरानी तारीख	सिविल प्रकरण	आपराधिक प्रकरण
1	18.05.2020	01.06.2020	17.06.2020
2	19.05.2020	02.06.2020	19.06.2020
3	20.05.2020	03.06.2020	23.06.2020
4	21.05.2020	06.06.2020	26.06.2020
5	22.05.2020	08.06.2020	30.06.2020
6	23.05.2020	10.06.2020	20.07.2020
7	25.05.2020	.	21.07.2020
8	26.05.2020	11.06.2020	22.07.2020
9	27.05.2020	.	23.07.2020
10	28.05.2020	.	24.07.2020
11	29.05.2020	.	27.07.2020
12	30.05.2020	11.06.2020	.

चारूलता दांगी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद जिला मण्डलेश्वर (म0प्र0)

न्यायालय:- महेन्द्र सैनी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सनावद

//आम सूचना//

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवायजरी /निर्देश के अनुपालन तथा समस्त भारत देश में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक समस्त सिविल एवं आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों अग्रिम पेशी दिनांक निर्धारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।

अतः (अपरिहार्य स्थिति जैसे रिमाण्ड जमानत , शीघ्र सुनवाई तथा निषोधाज्ञा मामलों तथा अंडर ट्रायल अभियुक्तगणों को छोडकर) सभी सिविल एवं आपराधिक प्रकरण में दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक निम्नानुसार अग्रिम दिनांक को सुनवाई में लिये जाते हैं ।

इस हेतु अभिभाषकगण अपने अपने पक्षकारों को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करें ।

सरल क्रमांक	पेशी तारीख	आपराधिक प्रकरणों हेतु नियत पेशी तारीख	सिविल प्रकरणों हेतु नियत पेशी तारीख
1	18.05.2020	03.06.2020	02.06.2020
2	19.05.2020	04.06.2020	03.06.2020
3	20.05.2020	05.06.2020	04.06.2020
4	21.05.2020	06.06.2020	05.06.2020
5	22.05.2020	10.06.2020	06.06.2020
6	23.05.2020	11.06.2020	
7	25.05.2020	12.06.2020	
8	26.05.2020	13.06.2020	
9	27.05.2020	15.06.2020	
10	28.05.2020	16.06.2020	
11	29.05.2020	16.06.2020	
12	30.05.2020	17.06.2020	

(महेन्द्र सैनी)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-2 एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
सनावद प0नि0

आम सूचना


देश में कोरोना वायरस (Noble Covid-19) के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पत्र क्र.-क्यू/13, दिनांक 17.05.2020 द्वारा जिला न्यायालयों एवं तहसील न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में जारी एडवाइजरी के अनुक्रम में प्रकरण के पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षियों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की सूचनार्थ निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1- इस न्यायालय में दिनांक 18.05.2020 से 30.05.2020 तक मामलों में जमानत एवं अर्जेंट मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। दिनांक 18.05.2020 से 30.05.2020 तक पूर्व से नियत इस न्यायालय के मामलों में निम्नानुसार जनरल तिथियाँ नियत की गई हैं :-

स. क.	नियत तिथि	आगामी तिथि	अण्डर ट्रायल प्रकरण की नियत तिथि
1	18.05.2020	06.07.2020	01.06.2020
2	19.05.2020	07.07.2020	02.06.2020
3	20.05.2020	08.07.2020	03.06.2020
4	21.05.2020	09.07.2020	04.06.2020
5	22.05.2020	10.07.2020	05.06.2020
6	23.05.2020	11.07.2020	06.06.2020
7	26.05.2020	13.07.2020	08.06.2020
8	27.05.2020	14.07.2020	09.06.2020
9	28.05.2020	15.07.2020	10.06.2020
10	29.05.2020	16.07.2020	11.06.2020
11	30.05.2020	17.07.2020	12.06.2020

2- सभी पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षियों और संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे न्यायालय परिसर एवं न्यायालयों में अत्यंत अर्जेंट स्थिति होने पर ही प्रवेश करे अन्यथा नहीं। बंदी अभियुक्तों की उपस्थिति आवश्यकतानुसार सिर्फ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाएगी।

न्यायालयीन प्रक्रिया में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से कोरोना वायरस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिये उपरोक्तानुसार व्यवस्था में सहयोग देने की अपेक्षा की जाती है।


आदेशानुसार
आशीष दवन्डे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन

न्यायालय:- प्रियंका चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी, खरगोन पश्चिम निमाड म0प्र0

-:आम सूचना:-

देश में कोरोना वायरस (Noble Covid-19) के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा क. क्यू-13 जबलपुर दिनांक 17.05.2020 द्वारा जिला न्यायालयों एवं तहसील न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में जारी एडवाइजरी के अनुक्रम में प्रकरण के पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षियों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की सूचनार्थ निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं।

न्यायालय में दिनांक 18.05.2020 से 30.05.2020 तक नियत मामलों में जमानत एवं अर्जेंट मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। दिनांक 18.05.20 से 30.05.2020 तक पूर्व से नियत न्यायालय के समस्त मामलों में निम्नानुसार तिथियां नियत की जाती हैं।

स0क0	नियत तिथि	आगामी तिथि	रिमांक
1.	18.05.20	11.06.20	30.05.2020
2.	19.05.20	12.06.20	-
3.	20.05.20	13.06.20	-
4.	21.05.20	15.06.20	03.06.2020
5.	22.05.20	16.06.20	-
6.	23.05.20	17.06.20	-
7.	24.05.20	18.06.20	06.06.2020
8.	26.05.20	19.06.20	-
9.	27.05.20	22.06.20	-
10.	28.05.20	23.06.20	10-06-2020
11.	29.05.20	24.06.20	-
12.	30.05.20	25.06.20	14.6.20

2- सभी पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षियों और संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय में अत्यंत अर्जेंट स्थिति होने पर ही प्रवेश करे अन्यथा नहीं। बंदी अभियुक्तों की उपस्थिति आवश्यकता अनुसार सिर्फ विडियोकान्फेसिंग से की जायेगी।

न्यायालयीय प्रक्रिया में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से कोरोना वायरस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए उपरोक्तानुसार व्यवस्था में सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है।

दिनांक 18.05.2020

(प्रियंका चौहान)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
जिला खरगोन, म.प्र.


न्यायालय-द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश खरगोन प.नि.म.प्र.

आम - सूचना

समस्त पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण को इस आम सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि देश में कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्र. क्यू.13, जबलपुर, दिनांक 17.05.2020 द्वारा जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों के प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में जारी एडवाईजरी के अनुक्रम में प्रकरण के पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षियों एवं हितबद्ध व्यक्तियों को निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं।

इस न्यायालय में दिनांक 18.05.2020 से 30.05.2020 तक नियत प्रकरणों में जमानत एवं अंतिम तर्क हेतु नियत अपील मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई निम्नानुसार तिथियां नियत की जाती है:-

क्रं.	नियत तिथि	आगामी तिथि	रिमार्क
1	18.05.2020	04.06.2020	
2	19.05.2020	05.06.2020	
3	20.05.2020	06.06.2020	
4	21.05.2020	08.06.2020	
5	22.05.2020	09.06.2020	
6	23.05.2020	10.06.2020	
7	26.05.2020	11.06.2020	
8	27.05.2020	12.06.2020	
9	28.05.2020	13.06.2020	
10	29.05.2020	15.06.2020	


श्रीमती गौला सोलंकी
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
खरगोन प.नि.म.प्र.

न्यायालय:- अभिषेक कुमार त्रिपाठी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,

आम सूचना

देश में कोरोना वायरस (Noble Covid 19) की तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार जिला न्यायालयों एवं तहसील न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक-क्यू/13 दिनांक-17/05/2020 के अनुक्रम में प्रकरण के पक्षकारों अधिवक्ताओं साक्षियों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की सूचनार्थ निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं।

न्यायालय में दिनांक-18/05/20 से 30/05/2020 तक नियत मामलों में जमानत एवं अर्जेंट मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। दिनांक-18/05/20 से 30/05/2020 तक पूर्व से नियत न्यायालय के समस्त मामलों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती हैं:-

अनु.क्रं.	नियत दिनांक	आगामी नियत दि.	रिमार्क
1	18/05/2020	03/06/2020	
2	19/05/2020	04/06/2020	
3	20/05/2020	05/06/2020	
4	21/05/2020	06/06/2020	
5	22/05/2020	08/06/2020	
6	23/05/2020	09/06/2020	
7	26/05/2020	10/06/2020	
8	27/05/2020	11/06/2020	
9	28/05/2020	12/06/2020	
10	29/05/2020	13/06/2020	
11	30/05/2020	15/06/2020	

(अभिषेक कुमार त्रिपाठी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खरगोन जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

न्यायालय— तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश खरगोन प0नि0(म0प्र0)

// आम सूचना //

समस्त पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण को इस आम सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि देश में कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्र. क्यू 13, जबलपुर, दिनांक 17.05.2020 द्वारा जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में जारी एडवाइजरी के अनुक्रम में प्रकरण के पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षियों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की सूचनार्थ निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं।

इस न्यायालय में दिनांक 18.05.2020 से 30.05.2020 तक नियत प्रकरणों में जमानत एवं अत्यंत जरूरी मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई निम्नानुसार तिथियां नियत की जाती हैं:-

क्र.	नियत तिथि	आगामी तिथि	रिमार्क
1	18.05.2020	22.06.2020	
2	19.05.2020	23.06.2020	
3	20.05.2020	24.06.2020	
4	21.05.2020	25.06.2020	
5	22.05.2020	26.06.2020	
6	23.05.2020	29.06.2020	
7	26.05.2020	02.07.2020	
8	27.05.2020	03.07.2020	
9	28.05.2020	06.07.2020	
10	29.05.2020	07.07.2020	
11.	30.05.2020	08.07.2020	

आज्ञा से

(डी.जी.एस. मण्डलोई)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प.नि. खरगोन (म.प्र.)
खरगोन प0नि0


श्रीमती आरती दीवार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सूचना पत्र (म.प्र.)

देश में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस न्यायालय में दिनांक 18/5/20 से 31/5/2020 तक नियत दिवानी मामलों में अर्जेंट प्रकृति के मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। उक्त अवधि में लंबित मामलों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की गई :-

क्रं.	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक	रिमार्क
1	18/5/20	01/6/20	✓
2	20/5/20	03/6/20	✓
3	21/5/20	04/6/20	✓
4	23/5/20	06/6/20	✓
5	27/5/20	08/6/20	✓
6	28/5/20	10/6/20	✓
7	30/5/20	11/6/20	✓

नोट:- अंतिम तर्क वाले प्रकरण नियत दिनांक में कार्यवाही उपरांत ही आगामी दिनांक हेतु नियत किये जावेंगे।

O/C


18/5/2020
श्रीमती आरती दीवार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खरगोन (म.प्र.)

सूचना पत्र

देश में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालयों में दिनांक 18/5/20 से 31/5/2020 तक नियत **आपराधिक मामलों** में अर्जेन्ट प्रकृति के मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। उक्त अवधि में लंबित मामलों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की गई :-

क्रं.	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक	रिमार्क
1	18/5/20	01/6/20	
2	20/5/20	08/6/20	
3	21/5/20	27/6/20	✓
4	22/5/20	18/6/20	✓
5	27/5/20	29/6/20	✓
6	28/5/20	22/6/20	✓
7	30/5/20	24/6/20	

01/6/20

नोट:- अंतिम तर्क वाले प्रकरण नियत दिनांक में कार्यवाही उपरांत ही आगामी दिनांक हेतु नियत किये जावेंगे।

0/c

श्रीमती आरंती लीला
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खरगोन (प्र.)
18/05/2020

न्यायालय:-चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खरगोन म0प्र0

आम सूचना

समस्त पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण को इस आम सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि देश में कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुये माननीय म प्र उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए, इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 30.05.2020 तक नियत प्रकरणों में जमानत एवं अत्यंत जरूरी मामले एवं अंतिम तर्क के मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। दिनांक 18.05.2020 से दि० 30.05.2020 तक पूर्व से नियत इस न्यायालय के प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है।

अनु.क्र०	नियत तिथि	आगामी तिथि	रिमार्क
1	18/05/20	15/06/20	
2	19/05/20	16/06/20	
3	20/05/20	17/06/20	
4	21/05/20	18/06/20	
5	22/05/20	19/06/20	
6	23/05/20	22/06/20	
7	26/05/20	23/06/20	
8	27/05/20	24/06/20	
9	28/05/20	25/06/20	
10	29/05/20	26/06/20	
11	30/05/20	27/06/20	

नोट:- अंतिम तर्क हेतु पूर्व से नियत प्रकरणों में अधिवक्तागण/पक्षकारगण नियत तिथि पर विडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उभयपक्ष की सहमति से अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं।




(सुभाष सिंघाणी)
चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश
प.नि. खरगोन (म.प्र.)

सूचना पत्र

देश में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किशोर न्यायालय में दिनांक 18/5/20 से 31/5/2020 तक नियत **आपराधिक मामलों** में अर्जेन्ट प्रकृति के मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। उक्त अवधि में लंबित मामलों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की गई :-

क्र.	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक	रिमार्क
1	19/5/20	09/6/20	
2	22/5/20	12/6/20	
3	26/5/20	16/6/20	
4	29/5/20	19/6/20	

नोट:- अंतिम तर्क व न्यायिक निरोध वाले प्रकरण नियत दिनांक पर ही कार्यवाही उपरांत नियत किये जावेंगे


(श्रीमती आरती ठोंगरा)
प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड
खरगोन, पश्चिम निमाड (म.प्र.)

न्यायालय-हर्ष भदौरिया, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण
अधिनियम 2012 बड़वाह, जिला-मण्डलेश्वर (म0प्र0)

दिनांक 19.05.2020 से 30.05.2020

आवश्यक सूचना

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन तथा समस्त भारत देशमें लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है कि कोराना वायरस के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 19.05.2020 से दिनांक 30.05.2020 के समस्त आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों में अग्रीम पेशी तिथि निर्धारित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः (अपरिहार्य स्थिति जैसे रिमाण्ड, जमानत, शीघ्र सुनवाई तथा अंडर ट्रायल अभियुक्तगण के मामलों को छोड़कर) सभी आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक 19.05.2020 से दिनांक 30.05.2020 तक के आपराधिकप्रकरण निम्नलिखित दिनांक के सामने लिखी नवीन अग्रीम दिनांक को सुनवाई पर लिये जावेंगे:-

क्र०	पेशी	आगामी दिनांक	पेशी रिमार्क
01	19.05.2020	03.06.2020	
02	20.05.2020	04.06.2020	
03	21.05.2020	05.06.2020	
04	22.05.2020	06.06.2020	
05	23.05.2020	08.06.2020	
06	25.05.2020	09.06.2020	
07	26.05.2020	10.06.2020	
08	27.05.2020	11.06.2020	
09	28.05.2020	12.06.2020	
10	29.05.2020	13.06.2020	
11	30.05.2020	15.06.2020	

(हर्ष भदौरिया)

विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बड़वाह, जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.)

जा. 3- 350
19-5-20

न्यायालय:-द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बडवाह प0निमाड

// सूचना-पत्र //

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के मेमो क. क्यू-13 जबलपुर दिनांक 17.05.2020 के द्वारा कोरोना वायरस काविड 19 महामारी के कारण दिनांक 17.05.2020 तक घोषित लॉकडाउन को दिनांक 30.05.2020 तक विस्तारित किया गया है। अतः त्वरित प्रकृति के प्रकरणों को छोड़कर इस न्यायालय में नियत दीवानी एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु आगामी तिथि नियत की जाती है। इस न्यायालय में पूर्व से नियत प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए आज दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 30.05.2020 तक नियत प्रकरणों को निम्नलिखित चार्ट में दर्शित तिथि को उसी प्रक्रम पर लिया जावेगो।

क्रमांक	पेशी दिनांक	आगामी नियत पेशी दिनांक आपराधिक प्रकरण
1	18.05.2020, 19.05.2020	27.06.2020
2	20.05.2020	29.06.2020
3	21.05.2020	30.06.2020
4	22.05.2020	02.07.2020
5		
6	26.05.2020	03.07.2020
7	27.05.2020	06.07.2020
8	28.05.2020	07.07.2020
9	29.05.2020	08.07.2020
10	30.05.2020	09.07.2020

नोट:- अंतिम तर्क हेतु पूर्व से नियत प्रकरणों में अधिवक्तागण/पक्षकारगण नियत तिथि पर विडियों कान्फेसिंग के माध्यम से उभयपक्ष की सहमति से अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं।

(प्रवीण शिवहरे)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बडवाह
पश्चिम निमाड (म.प्र.)

न्यायालय-सुधीरसिंह निगवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-1, बडवाह जिला- मण्डलेश्वर प0 नि0


-:आवश्यक सूचना:-

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन तथा समस्त भारत देश में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है की कोरोना वायरस के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 18/05/2020 से दिनांक 31/05/2020 तक समस्त सिविल एवं आपराधिक मामलो से संबंधित सभी प्रकरणों में अग्रिम पेशी दिनांक निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः (अपरिहार्य स्थिति जैसे रिमाण्ड जमानत शीघ्र सुनवाई तथा निषेधाज्ञा मामलो तथा अंडर ट्रायल अभियुक्तगण के मामलो को छोड़कर) सभी सिविल एवं आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक 18/05/2020 से दिनांक 31/05/2020 तक के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक के सामने लिखी नवीन अग्रिम दिनांक को सुनवाई पर लिये जायेगे।

इस हेतु अभिभाषकगण अपने अपने पक्षकारो को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करे।

सिविल एवं आपराधिक दोनो प्रकरणो हेतु अग्रिम नवीन दिनांक			जेल में निरुद्ध बंदियों के समस्त प्रकरण
क्रमांक	पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक
1	18/5/20	17/7/20	2/6/2020
2	19/5/20	17/7/20	—
3	20/5/20	17/7/20	—


(सुधीर सिंह निगवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
बडवाह, पश्चिम निमाड़ (म.प्र.)

**न्यायालय- जितेन्द्रसिंह परमार, प्रथम श्रेणी बडवाह न्यायाधीश वर्ग-2 एवं
न्यायाधिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी बडवाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश**

आम सूचना

माननीय न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के परिपत्र क्रमांक
व्य-13 दिनांक 17.05.2020 में प्रसारित दिशा निर्देशों के सदर में कोरोना वायरस के
बढ़ते संक्रमण के कारण सम्पूर्ण देश में दिनांक 31.05.2020 तक विस्तारित लॉक डाउन
को दृष्टिगत रखते हुये इस न्यायालय में लंबित समस्त दिवानी एवं अपराधिक प्रकरण
निम्न सारणी अनुसार आगामी नियत दिनांको को सुनवाई में लिये जावेगे।

क्रमांक	पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक
01	18.05.2020	09.06.2020
02	19.05.2020	10.06.2020
03	20.05.2020	11.06.2020
04	21.05.2020	12.06.2020
05	22.05.2020	18.06.2020
06	26.05.2020	19.06.2020
07	28.05.2020	22.06.2020

तदानुसार समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण को सूचित हो।

(जितेन्द्रसिंह परमार)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायाधिक मजिस्ट्रेट
बडवाह पश्चिम निमाड़ खरगोन (म.प्र.)

**न्यायालय:- संतोष सैनी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी, पश्चिम निमाड कसरावद, जिला मंडलेश्वर**

जावक क.


/आप./20

कसरावद, दिनांक 18.05.2020

::सामान्य सुचना::

कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए, माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू-13 जबलपुर दिनांक 17.05.20 में जारी दिशा-निर्देश के पालन में आज दिनांक 18/05/2020 से 30/05/2020 तक नियत प्रकरणों के संदर्भ में अत्यावश्यक श्रेणी के प्रकरणों जैसे अंतिम तर्क, तर्क, आदेश/निर्णय के प्रकरणों को छोड़कर सभी पक्षकारों, साक्षीगण एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि जिस प्रक्रम पर प्रकरण आज नियत है उसी प्रक्रम पर प्रकरण नीचे तालिका कॉलम नंबर-02 एवं 03 में वर्णित दिनांक को सुनवाई में लिये जायेंगे:-

पूर्व में नियत दिनांक	सुनवाई हेतु नियत आगामी दिनांक दिवानी प्रकरण	सुनवाई हेतु नियत आगामी दिनांक आपराधिक प्रकरण
18/05/2020	—	16/06/2020 एवं 17.06.2020
19/05/2020	—	18/06/2020 एवं 19.06.2020
20/05/2020	—	22/06/2020 एवं 23.06.2020
21/05/2020	—	24/06/2020 एवं 25.06.2020
22/05/2020	—	26/06/2020 एवं 29.06.2020
23/05/2020	निरंक	निरंक
26/05/2020	11/06/2020	03/07/2020
27/05/2020	12/06/2020	06/07/2020
28/05/2020	15/06/2020	07/07/2020
29/05/2020	16/06/2020	08/07/2020 एवं 09.07.2020
30/05/2020	निरंक	निरंक
31/05/2020	रविवार अवकाश	रविवार अवकाश



(संतोष सैनी),


व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
प.नि. कसरावद

न्यायालय:- संतोष सैनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पश्चिम निमाड कसरावद
म.प्र.

आवश्यक श्रेणी के आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई बाबत सूचना

अभिभाषक संघ कसरावद के समस्त अधिवक्तागण को अवगत कराया जाता है कि निम्नलिखित अत्यावश्यक श्रेणी के प्रकरणों की सुनवाई हेतु निम्न तिथियां नियत की जाती हैं। अतः अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने तर्क व अंतिम तर्क लिखित रूप से नीचे उल्लेखित दिनांकों को प्रस्तुत करें:-

क्र.	फौ.प्र.क्र.	पक्षकारों का नाम	प्रकरण की स्टेज	पेशी दिनांक	अभिभाषक का नाम
1	RCT 333/18	शा.वि.राजेंद्र, महेंद्र	अंतिम तर्क	26.05.2020	श्री के.सी.दुवे
2	RCT 98/16	शा.वि.कैलाश	अंतिम तर्क	26.05.2020	श्री डी.आर.पटेल
3	RCT 580/16	शा.वि.गणेश दगैरह	अंतिम तर्क	26.05.2020	श्री ए.आर.मीणा
4	RCT 299/14	शा.वि.लखन आदि	अंतिम तर्क	27.05.2020	श्री डी.आर.पटेल
5	RCT 22/15	शा.वि.मोहन व अन्य	अंतिम तर्क	27.05.2020	श्री अक्षयसिंह राठौर
6	SCNIA 78/17	फिरोज वि. राजदीप	अंतिम तर्क	27.05.2020	श्री अबरार खान श्री अब्दुल मिर्जा वकील
7	RCT 487/19	शा.वि.मोहन	अंतिम तर्क	28.05.2020	श्री सतीश बाथम


संतोष सैनी,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कसरावद

न्यायालय:-संजीव जैन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भीकनगांव

:: सामान्य सूचना::

क्रमांक 230/आर

भीकनगांव दिनांक 19.5.20

करोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशानिर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुये इस न्यायालय के सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों में दिनांक 18.05.2020 से 31.05.2020 तक नियत प्रकरणों, जमानत, अंतिम तर्क एवं जरूरी मामलो को छोडकर शेष समस्त मामलो की सुनवायी नहीं होगी दिनांक-18.05.2020 से दिनांक-31.05.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है।

नियत दिनांक	सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी नियत दिनांक
18.05.2020	02.06.2020
19.05.2020	03.06.2020
20.05.2020	04.06.2020
21.05.2020	05.06.2020
22.05.2020	06.06.2020
26.05.2020	08.06.2020
27.05.2020	09.06.2020
28.05.2020	10.06.2020
29.05.2020	11.06.2020
30.05.2020	12.06.2020

नोट:- अंतिम तर्क के मामलो को छोडकर शेष मामलो की सुनवायी की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की जाती है।


(संजीव जैन)
अपर जिला न्यायाधीश
भीकनगांव

न्यायालय-एन.आर. परमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भीकनगांव के
न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जिला मण्डलेश्वर (म.प्र.)

क्रमांक

भीकनगांव, दिनांक 18.05.2020

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक नियत प्रकरणों जमानत, अंतिम तर्क एवं जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवायी नहीं होगी। दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती हैं :-

नियत दिनांक	सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी दिनांक
18.05.2020	02.06.2020
19.05.2020	03.06.2020
20.05.2020	04.06.2020
21.05.2020	05.06.2020
22.05.2020	08.06.2020
23.05.2020	09.06.2020
26.05.2020	10.06.2020
27.05.2020	11.06.2020
29.05.2020	12.06.2020

नोट :- अंतिम तर्क के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवाई की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गई है।

आज्ञा से

एन.आर.परमार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भीकनगांव के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश, जिला मण्डलेश्वर

**न्यायालय:- श्रीमति ज्योत्सना आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं ग्राम
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, भीकनगांव पश्चिम निमाड(मध्यप्रदेश)**

जावक क्रमांक...../ 2020

भीकनगांव, दिनांक 19-05-2020

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा-निर्देश के पालन में एडवायरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लाक डाउन की स्थिति को देखते हुए इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 18-05-2020 से 31-05-2020 तक नियत प्रकरणों जमानत एवं जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवाई नहीं होगी दिनांक 18.05.2020 से 31.05.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है :-

नियत दिनांक	आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु आगामी तिथि	सिविल प्रकरणों की सुनवाई हेतु आगामी तिथि
18-05-2020	05-06-2020	ग्राम न्यायालय
19-05-2020	04-07-2020	04-07-2020
20-05-2020	07-07-2020	07-07-2020
21-05-2020	08-07-2020	08-07-2020
22-05-2020	08-06-2020	ग्राम न्यायालय
23-05-2020	09-07-2020	09-07-2020
25-05-2020	12-06-2020	ग्राम न्यायालय
26-05-2020	14-07-2020	14-07-2020
27-05-2020	15-07-2020	15-07-2020
28-05-2020	16-07-2020	16-07-2020
29-05-2020	15-06-2020	ग्राम न्यायालय
30-05-2020	21-07-2020	21-07-2020

{श्रीमति ज्योत्सना आर्य}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं
ग्राम न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय

न्यायालय- प्रथम सिविल जज वर्ग-1 मण्डलेश्वर के न्यायालय के अतिरिक्त जज
स्थान महेश्वर

// सुचना पत्र //

केन्द्रीय शासन द्वारा कोविड-19 को राष्ट्रीय आपदा बताते हुए संपूर्ण भारतदेश में लॉकडाउन की अवधि दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक बढ़ाई गयी है एवं माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा परिपत्र क्रमांक क्यू-13 दिनांकित 17.05.2020 जारी करते हुए म.प्र. राज्य के अधिन समस्त अधिनस्थ न्यायालय में इस अवधि दौरान अकार्य दिवस घोषित किया गया है एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीशय महोदय द्वारा इस अवधि में निर्धारित प्रकरण आगामी तिथि निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः सभी पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में इस अवधि में अंतिम तर्क/अन्तरिम आवेदन पर तर्क जिनकी सूचना पृथक से प्रेषित की गयी है, को छोड़कर केवल दिनांक 21.05.2020, 27.05.2020 एवं 28.05.2020 को ही नियत जिनकी आगामी तिथि निम्नानुसार नियत की जा रही है।

पेशी दिनांक	आपराधिक प्रकरणों की आगामी तिथि
21.05.2020	02.07.2020
27.05.2020	02.07.2020
28.05.2020	02.07.2020


19.5.2020

{ प्रियूष भावे }
प्रथम सिविल जज वर्ग-1 मण्डलेश्वर
के न्यायालय के अतिरिक्त जज स्थान
महेश्वर

आवश्यक सूचना

सभी सर्वसाधारण एवं अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण को यह सूचित किया जाता है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर द्वारा दिनांक 18.05.2020 को सर्कुलर क्रमांक क्यू/13 जबलपुर दिनांक 17.05.2020 जारी करते हुए केन्द्रीय शासन द्वारा दिनांक 31.05.2020 तक लाकडाउन घोषित किये जाने के चलते सभी अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.2020 तक केवल अत्यावश्यक प्रकृति के जमानत/सुर्पुदगी आवेदन, पुलिस/ज्युडिशियल रिमाण्ड के आवेदन के अलावा ऐसे प्रकरण जिसमें केवल उभयपक्षों के अंतिम तर्क या अन्तरिम आवेदन पर तर्क श्रवण किये जाने हैं को ही सुनवाई में लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है एवं साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय का समय दोपहर 2.00 से 5.00 तक का रहेगा। अतः आपको सूचित किया जाता है कि निम्न सूची अनुसार नियत दिनांक को सूची अनुसार प्रकरण जो अंतिम तर्क/निर्णय के स्टेज पर ही विडियो कान्फेसिंग के माध्यम से सुनवाई में लिये जावेंगे एवं इसके अलावा अत्यावश्यक प्रकृति का कार्य भी इसी न्यायालयीन समय पर सुनवाई पर लिया जावेगा एवं इस पत्र के पूर्व जारी दिशानिर्देश आगामी दिनांक 31.05.2020 तक प्रभावी रहेंगे।


19.5.2020

// // सिविल प्रकरण // //

कं. नाम	प्रकरणो के नाम	के पक्षकारो के नाम	अधिवक्ता के नाम	के पेशी दिनांक	प्रकरण की स्टेज
1	आरसीएसए 16/17	राधेश्याम भंवरसिंह	वि. श्री जितेन्द्र नेगी	19.05.20	अंतिम तर्क
2	आरसीएस बी 1/19	नर्मदा मांगीलाल	वि. श्री ओपीओ मोयदे	19.05.20	अंतिम तर्क
3	आरसीएस बी 2/19	नर्मदा महादेव	वि. श्री ओ.पी मोयदे	21.05.20	अंतिम तर्क
4	आरसीएस ए 3/18	नरेन्द्र रामेश्वर	वि. श्री पुरोहित एवं पवन दाणे	21.05.20	अंतिम तर्क
5	आरसीएसए 12/18	छीतु प्र.शारान	वि. म. श्री भावसार अधिवक्ता	23.05.20	अंतिम तर्क
6	एमजेसी 2/15	टन्टू नारायण	वि. श्री संजय शर्मा एवं श्री बी.पी. शर्मा	23.05.20	अंतिम तर्क
7	आरसीएसए 4/18	सुरेश कमलेश	वि. श्री टी.सी पाटीदार	26.05.20	अंतिम तर्क
8	आरसीएस बी 1/18	धमेन्द्र धमेन्द्र	वि. श्री जितेन्द्र नेगी	26.05.20	निर्णय

// // आपराधिक प्रकरण // //

कं. नाम	प्रकरणो के नाम	के पक्षकारो के नाम	अधिवक्ता के नाम	पेशी दिनांक	प्रकरण की स्टेज
1	आरसीटी 347/16	शासन	वि. महेश श्री पवन दाणे	20.05.20	अंतिम तर्क
2	एससीएनआई 1/17	राधेश्याम जीवन	वि. श्री खान एवं सोनी	20.05.20	अंतिम तर्क
3	एससीएनआई 2/17	राधेश्याम जीवन	वि. श्री खान एवं सोनी	20.05.20	अंतिम तर्क
4	आरसीटी 120/17	शासन सुनिल	वि. श्री हंसराज सोनी	20.05.20	अंतिम तर्क
5	आरसीटी 178/17	शासन	वि. सलीम श्री हंसराज सोनी	20.05.20	अंतिम तर्क
6	आरसीटी	शासन	वि. श्री हंसराज सोनी	22.05.20	अंतिम तर्क

[Signature]
20.5.2020

91/18	नौसात				
7 आरसीटी 246/18	शासन वि. सुरेश	श्री सोनी	22.05.20	अंतिम तर्क	
8 एमजेसी 76/19	रिया वि० दीपक	श्री गिसार खान	22.05.20	अंतिम तर्क	
9 आरसीटी 165/15	विशाल वि. तेजा	श्री सी.के जैन एवं श्री भावसार	22.05.20	अंतिम तर्क	
10 आरसीटी 711/15	शासन. अमरसिंह	वि. श्री पुरोहित	22.05.20	अंतिम तर्क	
11 आरसीटी 74/17	शासन वि. महेश	श्री गोले	25.05.20	अंतिम तर्क	
12 आरसीटी 105/18	शासन. अभिषेक	वि. श्री सोनी	25.05.20	अंतिम तर्क	
13 आरसीटी 707/15	शासन झुइवरसिंह	वि. श्री अजय वर्मा	25.05.20	अंतिम तर्क	
14 आरसीटी 209/16	शासन. वि. संतोष	श्री जिरेती	25.05.20	अंतिम तर्क	
15 आरसीटी 27/17	शासन वि. कुन्दन	श्री सुरेशचंद्र पाटीदार	25.05.20	अंतिम तर्क	
16 आरसीटी 204/17	शासन वि. प्रणय	श्री जिरेती	25.05.20	अंतिम तर्क	
17 आरसीटी 96/16	शासन. वि. अजय	श्री पवन दाणे	27.05.20	अंतिम तर्क	
18 आरसीटी 23/17	शासन वि. विजय	श्री ललित जायसवाल	27.05.20	अंतिम तर्क	
19 आरसीटी 258/18	शासन. वि. नत्थु	श्री सोनी	27.05.20	अंतिम तर्क	

{ मियूष भावे } 19.5.2020
 प्रथम सिविल जज वर्ग-1 मण्डलेश्वर
 के न्यायालय के अतिरिक्त जज स्थान
 महेश्वर